

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी-राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या- 402/2024
दावा 88,53,48 आर.टी.ए.

1-नवदीपसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया
2-चरणजीतकौर पत्नी गुरदाससिंह जाति जटसिख साकिन चक नं. 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
--वादीगण--

बनाम

1-सुखदेवसिंह पुत्र हरनामसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया
2-नथासिंह पुत्र गनीसिंह जाति जटसिख साकिन चक नं. 3 ए.एम.पी. (संतपुरा) तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान) 3-तहसीलदार राजस्व संगरिया।
--प्रतिवादीगण--

उपस्थित :-

1-ओम प्रकाश शर्मा वकील वादीगण

2-जिनन्द कुमार बाथम वकील प्रति. 1 से 2

निर्णय

दिनांक 26.07.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अनतगर्त धारा 88,53,48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रति 0 संख्या 1 ता 2 की कृषि भूमि तहसील संगरिया के चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 273/110 में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से कुल 1.012 है 0 व खाता संख्या 137/41 में 0.179 है 0 तथा वादीया संख्या 2 के नाम से खाता संख्या 279/12 में 1.316 है 0 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से खाता संख्या 204/95 में 0.105 है 0 नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में है जमाबन्दीया हमराह दावा है जिनका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है:-

(क) चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. खाता सं. 273/110 सम्वत् 2072-2075 :-

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
160/135	1	3 ता 5 व 9/1.012,
कुल खसरे-4		योग खाता 1.012 है 0

(ख) चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. खाता सं. 137/41 सम्वत् 2071-2074 :-

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
160/134	52	24/1/0.107, 25/3/0.060, 25/5/0.012,
कुल खसरे-3		योग खाता 0.179 है 0

(ग) चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 279/12

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
164/137	37	11/0.253, 12/1/0.127, 12/2/0.126, 13/0.253,
कुल खसरे-8		14/2/0.077, 16/2/0.025, 16/4/0.215, 17/2/0.245
		योग खाता 1.316 है 0

Next-----2

(घ) चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. खाता सं. 204/95 सम्वत् 2072-2075 :-

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
165/138	48	1-2-9-10-11/1.265,
कुल खसरे-5		योग खाता 1.265 है0

उक्त खाते में प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा की 0.105 है0 भूमि दर्ज है। कि दावा के पहरा संख्या 2 में वर्णित समस्त सम्पति विरास्तन जददी जायदाद है जिसमें वादी संख्या 1 का जन्मजात अधिकार है वादीगण एवं प्रति0 संख्या 1 से 2 ने कुल भूमि का अच्छी-मंदी भूमि के आधार पर भूमि एकीकरण एवं काश्त की सहूलियत को मध्यनजर रखते हुए परस्पर विनिमय एवं घरू विभाजन कर लिया है, घरू विभाजन में प्रति0 संख्या 1 व 2 किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहते उन्होनें अपने-अपने हिस्सा की उक्त भूमि वादी को छोड़ दी है अब वादी संख्या 1 को मुताबिक घरू विभाजन चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 279/12 में 1.086 है0 भूमि व खाता संख्या 204/95 में 0.105 है0 भूमि प्राप्त हो चुकी है उक्त खातों से वादीया संख्या 2 का हिस्सा कम किया जावे व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का नाम दर्ज करावे इसी प्रकार वादीया संख्या 2 को चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 273/110 में 1.012 है0 व चक नम्बर 1 पी.टी.पी. खाता संख्या 137/41 में 0.179 है0 भूमि प्राप्त हो चुकी है उक्त खातों से वादी संख्या 1 व प्रति0 संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादीया संख्या 2 का नाम दर्ज किया जावे इसी अमर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण चाहते है। मुताबिक घरू विभाजन वादीगण के हिस्सा व कब्जा काश्त में निम्न प्रकार से भूमि है :-

(क) वादी संख्या एक-नवदीपसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया की कब्जा काश्त:-

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 279/12

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
164/137	37	11/0.023, 12/1/0.127, 12/2/0.126,
		13/0.253, 14/2/0.077, 16/2/0.025,
		16/4/0.215, 17/2/0.240
कुल-1.086 है0		नहरी मय गै0मु0

(ख)-वादी संख्या एक-नवदीपसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा के हिस्सा की भूमि

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. खाता सं. 204/95 में 1/12 हिस्सा की 0.105 है0

इस प्रकार दौनो खातो में कुल- 1.191 है0

(ख)-वादी संख्या दो-चरणजीतकौर पत्नी गुरदाससिंह जाति जटसिख साकिन चक नं. 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया की कब्जा काश्त:-

चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. खाता सं. 273/110

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
160/135	1	3 ता 5 व 9/1.012,
		योग खाता 1.012 है0 नहरी

Handwritten signature and stamp at the bottom right corner.

चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. खाता सं. 137/41

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
160/134	52	24/1/0.107, 25/3/0.060, 25/5/0.012,

योग खाता 0.179 है0 नहरी मय गै0मु0

महाकुल- 1.191 है0

दावा के पहरा संख्या 3 में वर्णित विवरण अनुसार ही वादीगण की कब्जा काशत है इसी अनुसार वादीगण राजस्व अभिलेख जमाबन्दीयों में अपना अपना नाम इन्द्राज करवा भूमि नाम कराने के मुश्तहक एवं दावेदार है। उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में हमारी कब्जा काशत अनुसार नाम दर्ज नहीं होने से हमारे खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि वे पहरा सं. 3 में वर्णितानुसार हुऐ विनिमय एवं विभाजन अनुसार खातेदार भूमि हम वादीगण के नाम दर्ज करवा देवे तो प्रतिवादीगण पहले तो आजकल-आजकल कहकर टालमटोल करते रहे अन्त में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई तौर पर इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलबी तारीख मुकर्र की गई। मुकर्र तारीख पैशी पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर श्री जिनेन्द्रकुमार बाथम वकील हाजिर आये तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के मध्य राजीनामा तहरीर व तकमील होकर प्रस्तुत हुआ जिसे वाद दस्तदीक शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 स्टेट ने अपना जबाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में राजीनामा पेश होने पर दावा में कोई विरोध नहीं रहा इसलिये तनकीयात कायम नही की गई। वादी की और से वादी संख्या 1 नवदीपसिंह ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र आ.18 नि.4 सी.पी.सी. के तहत पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दीया प्रदृशित कराई गई।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक राजीनामा वाद को डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया, बहस वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कोई विरोध नहीं करते हुए दावे को मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। बहस वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दीयों में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज है तथा घरू विभाजन एवं भूमि को एकीकरण एवं काशत की सहूलियत अनुसार विभाजन कर कब्जा प्राप्त कर लिया है अत वादीगण के वाद में राजीनामा प्रस्तुत होने होने दावा पूर्णतया साबित है अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि वादी संख्या 1 नवदीपसिंह चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 279/12.में 1.086 है0 व खाता संख्या 204/95 में 0.105 है0 कुल 1.191 है0 भूमि का खातेदार काशतकार है उक्त खातों से वादीया संख्या 2 का हिस्सा कम किया जावे व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। इसी अनुसार वादीया संख्या 2-चरणजीतकौर चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 273/110 में 1.012 है0 व चक नम्बर

1 पी.टी.पी. खाता संख्या 137/41 में 0.179 है0 इस प्रकार कुल 1.191 है0 भूमि की खातेदार काश्तकार है उक्त खातों से वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादीया संख्या 2 का नाम दर्ज किया जावे तथा राजीनामा में वर्णित कब्जा काश्त अनुसार वादीगण का निम्न प्रकार से खाता अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जावे।

(1) वादी संख्या 1—नवदीपसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा के हिस्सा की भूमि का विवरण :-

(क) चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 279/12

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
164/137	37	11/0.023, 12/1/0.127, 12/2/0.126, 13/0.253, 14/2/0.077, 16/2/0.025, 16/4/0.215, 17/2/0.240 कुल—1.086 है0 नहरी मय गै0मु0

(ख) चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 204/95 में 1/12 हिस्सा की 0.105 है0 इस प्रकार दौनो खातो में कुल—1.191 है0

(2)—वादी संख्या 2—चरणजीतकौर पत्नी गुरदाससिंह जाति जटसिख साकिन चक नं. 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया हिस्सा की भूमि का विवरण :-

(क) चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. खाता सं. 273/110

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
160/135	1	3 ता 5 व 9/1.012, योग खाता 1.012 है0 नहरी

(ख) चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. खाता सं. 137/41

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
160/134	52	24/1/0.107, 25/3/0.060, 25/5/0.012, योग खाता 0.179 है0 नहरी मय गै0मु0

इस प्रकार दौनो चको के दौनो खातों में कुल—1.191 है0

नोट :- बैंक के बकाया न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने पर नामान्तरण कार्यवाही की जावे।

अतः पर्चा डिकरी जारी हो तथा पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)

महासचिव कलकत्ता एवं

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिगरी एवं मुकदमें इत्तादाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत- सहायक कलैक्टर, संगरिया
बइजलास- राकेश कुमार मीना आर ए एस

- 1-नवदीपसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया
2-चरणजीतकौर पत्नी गुरदाससिंह जाति जटसिख साकिन चक नं. 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
---वादीगण---

बनाम

- 1-सुखदेवसिंह पुत्र हरनामसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया
2-नथासिंह पुत्र गनीसिंह जाति जटसिख साकिन चक नं. 3 ए.एम.पी. (संतपुरा) तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान) 3-तहसीलदार राजस्व संगरिया।
---प्रतिवादीगण---

दावा बाबत घोषणात्मक, बंटवारा, कृषि भूमि बाबत

मुकदमा नम्बर 402/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट मिन जानिब मुदई जिनेन्द्रकुमार बाथम जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-वादी संख्या 1 नवदीपसिंह चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 279/12 में 1.086 है0 व खाता संख्या 204/95 में 0.105 है0 कुल 1.191 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार है उक्त खातों से वादीया संख्या 2 का हिस्सा कम किया जावे व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। इसी अनुसार वादीया संख्या 2-चरणजीतकौर चक नम्बर 3 ए.एम.पी. खाता संख्या 273/110 में 1.012 है0 व चक नम्बर 1 पी.टी.पी. खाता संख्या 137/41 में 0.179 है0 इस प्रकार कुल 1.191 है0 भूमि की खातेदार काश्तकार है उक्त खातों से वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादीया संख्या 2 का नाम दर्ज किया जावे तथा राजीनामा में वर्णित कब्जा काश्त अनुसार वादीगण का निम्न प्रकार से खाता अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जावे।

(1) वादी संख्या 1-नवदीपसिंह पुत्र सुखदेवसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा के हिस्सा की भूमि का विवरण :-

(क) चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 279/12

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
164/137	37	11/0.023, 12/1/0.127, 12/2/0.126, 13/0.253, 14/2/0.077, 16/2/0.025, 16/4/0.215, 17/2/0.240 कुल-1.086 है0 नहरी मय गै0मु0



(ख) चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. 204/95 में 1/12 हिस्सा की 0.105 है०

इस प्रकार दौनो खातो में कुल-1.191 है०

(2)-वादी संख्या 2-चरणजीतकौर पत्नी गुरदाससिंह जाति जटसिख साकिन चक नं. 3 ए.एम.पी. तहसील संगरिया हिस्सा की भूमि का विवरण :-

(क) चक नंबर 3 ए.एम.पी. खाता सं. खाता सं. 273/110

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
160/135	1	3 ता 5 व 9/1.012, योग खाता 1.012 है० नहरी

(ख) चक नंबर 1 पी.टी.पी. खाता सं. खाता सं. 137/41

पं. नं.	मु.नं.	किला नंबर
160/134	52	24/1/0.107, 25/3/0.060, 25/5/0.012, योग खाता 0.179 है० नहरी मय गै०मु०

इस प्रकार दौनो चको के दौनो खातों में कुल-1.191 है०

नोट :- बैंक के बकाया न होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने पर नामान्तरण कार्यवाही की जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....। खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक.....को अदा करे।।
बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.07.2014 को जारी किया गया

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया